न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/43/2024 वाद दायर दिनांक 09.05.2024

उनवान

1. धापु पत्नी शंकर जाति जाट आयु वयस्क निवासी बावरिया खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।	1. प्यारी पत्नी डालू जाति जाट आयु वयस्क निवासी बावरिया खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। 2. बद्री पिता डालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी बावरिया खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। 3. भगवानी पुत्री डालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी बावरिया खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। 4. शान्ता पुत्री डालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी बावरिया खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। 5. तहसीलदार कपासन, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री लक्ष्मीशंकर जाट –वादीया
एकतरफा –प्रतिवादी संख्या 1 व 4

–: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः 17.03.2025

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा बावरिया खेड़ा पटवार दोवनी तहसील कपासन के हल्के बैरुनी में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के संयुक्त खातेदारी की आराजीयात स्थित है, जिसके आराजी नम्बर 193 रकबा 0.54 हैक्टर चाही 2 कुल खसरे 1 कुल क्षेत्रफल 0.54 हैक्टर स्थित है उक्त आराजीयात में वादीया संख्या 1/2 व शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

यह कि उक्त कॉलम संख्या एक में वर्णितानुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है पक्षकारान का विवादित आराजीयात पर संयुक्त कब्जा होकर संयुक्त काश्त करते है तथा उपज का हिस्सा भी करना पडता है इसलिये पक्षकारान के बीच विवाद बना रहता है वादीगण विवादित आराजीयात को लागत लगाकर विकसित करना चाहते है लेकिन प्रतिवादीगण इसके लिये तैयार नहीं होते है इसलिये वादीगण विवादित आराजीयात का समुचित उपयोग नहीं कर सकते है इसलिये वादीगण विवादित आराजीयात का विभाजन/बंटवाडा करना चाहते है लेकिन वादीगण को प्रतिवादीगण समुचित जवाब नहीं देते है तथा इस साल भी दिनांक 01.06.2023 को आखिरकार विभाजन/बंटवाडा करने से मना कर दिया इसलिये विवादित आराजीयात का विभाजन/बंटवाडा करना आवश्यक हो गया है।

यह कि वादकारण दिनांक 01.06.2023 से निरन्तर जारी है।

अन्त में वादीया की प्रार्थना है कि–

1. पक्ष वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण के विभाजन/बंटवाडा की डिक्री इस अमर की जारी फरमाई जावें कि इस वादपत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजी नम्बर 193 रकबा 0.54 हैक्टर चाही 2 का विभाजन कराया जाकर वादीया का उक्त चालु जमाबन्दी में प्रत्येक के नाम उनका हिस्सा की अलग अलग खातेदारी में अंकन कराया जाकर अलग अलग जमाबन्दी बनाई जावें

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

तथा प्रत्येक प्रतिवादीगण को जो हिस्सा विभाजन में प्राप्त होता है उनको अलग अलग कब्जा दिलाने की कृपा करावें।

2. अन्य दाद मुफिद वादीया के हो प्रतिवादीगण से दिलाई जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने से पूर्व में दिनांक 08.01.2025 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 08.01.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 11.11.2025 से प्रस्तुत की गई। जो शा0फा0 की गयी। बहस वादीया अधिवक्ता सुनी गई। अतः वादीया अधिवक्ता के निवेदन को आंशिक स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 17.03.2026 को वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा बायरिया खेडा पटवार हल्का दोवनी तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में वादीया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजीयात आराजी नम्बर 193 रकबा 0.54 हैक्टर चाही 2 कुल खसरे 1 कुल क्षेत्रफल 0.54 हैक्टर स्थित है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 11.11.2025 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. धापु पत्नी शंकर जाति जाट सा. देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	193/1	0.27	चाही 2
योग	कुल किता–1	0.27	

2. प्यारी पत्नी डालू जाति जाट 1/4 बद्री पिता डालु जाति जाट 1/4 भगवानी पुत्री डालु जाति जाट 1/4 शान्ता पुत्री डालु जाति जाट 1/4 सा. देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	193/2	0.27	चाही 2
योग	कुल किता–01	0.27	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

प्रपत्र –5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन

पीठासीन अधिकारी :– **राजेश सुवालका** (R.A.S.)

उनवान
बनाम

3. धापु पत्नी शंकर जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरिया खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

6. प्यारी पत्नी डालू जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरिया खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. बद्री पिता डालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरिया खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. भगवानी पुत्री डालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरिया खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. शान्ता पुत्री डालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरिया खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. तहसीलदार कपासन, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

दावा बाबत् 53 आर.टी. एक्ट
मुकदमा नम्बर :– 43/2024
निर्णय दिनांक :– 17.03.2026

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीशंकर जाट व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 विरूद्ध एकतरफा में आज तारिख 17.03.2026 को राजेश सुवालका (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, कपासन के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि– मौजा बाबरिया खेड़ा पटवार दोवनी तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में वादीया का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा बाबरिया खेड़ा पटवार हल्का दोवनी तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में वादीया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजीयात आराजी नम्बर 193 रकबा 0.54 हैक्टर चाही 2 कुल खसरे 1 कुल क्षेत्रफल 0.54 हैक्टर स्थित है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 11.11.2025 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

4. धापु पत्नी शंकर जाति जाट सा. देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	193/1	0.27	चाही 2
योग	कुल किता–1	0.27	

5. प्यारी पत्नी डालू जाति जाट 1/4 बद्री पिता डालु जाति जाट 1/4 भगवानी पुत्री डालु जाति जाट 1/4 शान्ता पुत्री डालु जाति जाट 1/4 सा. देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	193/2	0.27	चाही 2
योग	कुल किता–01	0.27	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन, जिला-चित्तौड़गढ़

यह आज तारीख 17.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर कपासन

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	–	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	–
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	–	अर्जी के लिए स्टाम्प	–
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	–	प्लीडर की फीस	–
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस	–	साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	–
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	–	आदेशिका की तामिल	–
6. कमिश्नर की फीस	–	कमिश्नर की फीस	–
7. आदेशिका की तामिल	–		–
	–		
जोड	–	जोड	–